



INDIA NON JUDICIAL



Government of Uttar Pradesh

PRIYANSHU JAISWAL
CONE-UP 14536404, Lic. No. 704
Mob. 7905770180/9335490249/76519-
District Sadar, Prayagraj

e-Stamp

Certificate No. IN-UP00639003695880V
Certificate Issued Date 29-Aug-2023 01:36 PM
Account Reference NEWMPACG (SV) up14536404/PRAYAGRAJ SADAR/ UP-AHD
Unique Doc. Reference SUBIN-UPUP1453640496859075875030V
Purchased by SMT SHARDA PANDEY MANAGING TRUSTEE U E TRUST.
Description of Document Article 4 Affidavit
Property Description Not Applicable
Consideration Price (Rs.)
First Party SMT SHARDA PANDEY MANAGING TRUSTEE U E TRUST
Second Party Not Applicable
Stamp Duty Paid By SMT SHARDA PANDEY MANAGING TRUSTEE U E TRUST
Stamp Duty Amount(Rs.) 100
(One Hundred only)



समझः

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रारूप—अ

सत्र 2023–24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाली नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

हम शारदा पाण्डेय अध्यक्ष एवं शिवेन्द्र कुमार सचिव क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव युनिवर्सल एजूकेशनल ट्रस्ट, 14/8, स्टैनली रोड, सिपिल लाइंस, प्रयागराज शपथपूर्वक निम्नतः व्याख्या करते हैं :-

- यह कि हमारी ट्रस्ट द्वारा केंपी० इस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, कटहुला गौसपुर, झालवा, प्रयागराज उ०प्र० नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।

Statutory Alert:

- The authenticity of this stamp certificate should be verified at www.e-stampstamps.govt.in or by using e-Stamp Mobile App or Block Printer.
- Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
- The cost of checking the authenticity is for the User of the Certificate.
- In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

2. यह कि हमारी ट्रस्ट के नाम ग्राम कटहुला गोसपुर परगना व तहसील सदर, जिला प्रयागराज में गाठा संख्या 1788 रक्का 114 वर्गमीटर, गाठा संख्या 1789 रक्का 1855 वर्गमीटर व 1793 रक्का 3710, गाठा संख्या 1795 रक्का 3200 वर्गमीटर, 1799 रक्का 1710 वर्गमीटर कुल 10589 वर्गमीटर (कुल रक्का 1.0589हें) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के ग्राम कटहुला गोसपुर परगना व तहसील सदर, जिला प्रयागराज में गाठा संख्या 1788 रक्का 114 वर्गमीटर, गाठा संख्या 1789 व 1793 रक्का 3710 में से 3310 कुल रक्का 3424 वर्गमीटर (कुल रक्का 0.3424हें) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्था की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव ट्रस्ट की बैठक दिनांक 20-02-2019 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्था में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई०



30

आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक ब्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को कार्मसी काउसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तीनाती द्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया गया है।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भली-भाति पालन करेंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अनित्य होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।
13. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य हैं यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फज्जी, कूटसंघित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।



शारदा पाण्डेय
अध्यक्ष

Shivendra
शिवेन्द्र कुमार
सचिव

Smt Sharda Pandey and others

Identified by.....
was sworn before me on.....
who has accepted the contents of
the affidavit to be true.

IDENTIFIED BY
ADVOCATE/PRAYAGRAJ

Ram Kumar
Advocate/Notary
Prayagraj
Govt. of India

30-8-23